दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटनांच्या/संस्थांच्या (Instituitions) नोंदणी, देखरेख आणि नूतनीकरणावेळी जिल्हा समितीसाठी प्रस्तावांच्या छाननी आणि तपासणीसाठीचा नमुना (Proforma).

महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग कल्याण विभाग
**शासन परिपत्रक क्रमांक :- दिव्यांग-2025/प्र.क्र. 10/कार्यासन-1**
31,32,35 "ए" विंग, तिसरा मजला, मित्तल टॉवर
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईंट,
मंत्रालय, मुंबई - 400 021.
**दिनांक :- 07 नोव्हेंबर , 2025.**

**संदर्भ** :- 1. शासन निर्णय, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक: - दिव्यांग-2025/ प्र. क्र.10/ कार्यासन1, दिनांक 17 ऑक्टोबर, 2025.

2. शासन शुद्धीपत्रक, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक: - दिव्यांग-2025/ प्र. क्र.10/ कार्यासन1, दिनांक 29 ऑक्टोबर, 2025.

**प्रस्तावना :-**

महाराष्ट्र शासन दिव्यांग व्यक्तींची प्रतिष्ठा, हक्क आणि सुरक्षा यांचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे.

दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, 1995 चा अधिनियम प्रामुख्याने दिव्यांगासाठी आरक्षण, सुविधा व मर्यादित हक्क या कल्याणकारी उपायांवर केंद्रित होता. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 या अधिनियमाने पूर्वीचा कायदा अधिक्रमित करून अधिक व्यापक व प्रगत दृष्टीकोन उपलब्ध करून दिला आहे. या अधिनियमाने सक्षमीकरण, समानता व समावेशकतेच्या तत्त्वांचा संपूर्ण स्वीकार करुन केवळ सुविधा पुरविण्यावर मर्यादित न राहता हक्क आधारित सक्षमीकरणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. सदर अधिनियम हा दिव्यांग व्यक्तींना समाजापासून वेगळं न करता त्यांचं समावेशन करुन त्यांना सक्षम करण्यावर भर देतो . त्याचबरोबर दिव्यांग व्यक्तींना केवळ सहानुभूती न दाखवता , त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या संधी निर्माण करणे हे या अधिनियमाने बंधनकारक केले आहे .

2. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणात नागरिक, संघटना/संस्था, स्वयंसेवी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 49-53 अनुसार दिव्यांगांच्या कल्याण, विकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटनांची/ संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे. तथापि विभागाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, दिव्यांग क्षेत्रात अनेक नागरिक, संघटना/संस्था, स्वयंसेवी संस्था अद्यापि वैध नोंदणीशिवाय कार्यरत आहेत. सदर

बाब दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 50चे उल्लंघन करणारी आहे. कोणतीही व्यक्ती अथवा संघटना/संस्था, स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग क्षेत्रात वैध नोंदणी शिवाय कार्य करू शकत नाही.

3. दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व नागरिक, संघटना/ संस्था, स्वयंसेवी संस्थांच्या कामकाजात एकसमानता, पारदर्शकता येण्यासाठी तसेच त्यांची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिक, संघटना/ संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्थाची नोंदणी, तपासणी, देखरेख, नूतनीकरण, जबाबदारी व पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी दिनांक 17 ऑक्टोबर, 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक 29 ऑक्टोबर, 2025 शासन शुद्धीपत्रकानुसार त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 51 नुसार जिल्हा समितीकडे नोंदणीकरिता प्राप्त प्रस्तावांच्या छाननीसाठी नमुना (Proforma) उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन परिपत्रक:-**

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 51 अन्वये दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणारे नागरिक, संघटना/ संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्था यांच्या नोंदणी किंवा नूतनीकरणासाठी जिल्हा समिती प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून सोबत जोडलेल्या नमुना (Proforma) मध्ये माहिती भरेल. तसेच सदर नमुन्यामध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 आणि अनुषंगिक नियम यांच्या आधारे अन्य माहिती अंतर्भूत करून परिपूर्ण अहवाल "आयुक्त, दिव्यांग कल्याण" यांना 30 दिवसात सादर करेल.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५११०७१७३१४१५२३५ आहे . हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

SUNANDA MOHANRAO GHADYALE

Digitally signed by SUNANDA MOHANRAO GHADYALE
DN: CN = SUNANDA MOHANRAO GHADYALE, C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = PDWD
Date: 2025.11.07 17:33:50 +05'30'

**( सुनंदा मो. घड्याळे )**
**उप सचिव , महाराष्ट्र शासन**

**प्रति ,**

1) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई.
3) मा. उपमुख्यमंत्री ( वित्त विभाग व नियोजन विभाग) यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई.
4) मा. उपमुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग ) यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई.

5) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई.
6) मा.विधानसभा/विधान परिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
7) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
8) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई
9) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे
10) सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय
11) सर्व आयुक्त, महानगरपालिका
12) सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण कार्यालय,
13) सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर / मुंबई उप नगर.
14) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
15) सर्व समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद
16) भारतीय जनता पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१,योगक्षेमसमोर, वसंतराव नाईक चौक, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०० ०२१,
17) इंडियन नॅशनल कॉँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश, कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५,
18) राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग,नरिमन पॉईन्ट,मुंबई ४०००२१,
19) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०० ०२८,
20) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी,मुंबई ४०००१३,
21) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस,वरळी, मुंबई
22) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई
23) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०० ०२८,
24) निवड नस्ती/ कार्यासन-१.

# जिल्हा समितीसाठी छाननी आणि तपासणीसाठीचा नमुना (Proforma)

(नोंदणी प्रस्तावाची छाननी)

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ५१ आणि दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार

## भाग अ: सर्वसाधारण माहिती

| मुद्दे | तपशील |
|---|---|
| संस्थेचे नाव | |
| जिल्हा | |
| संस्थेचा प्रकार | ☐ शैक्षणिक ☐ आरोग्य ☐ व्यावसायिक प्रशिक्षण ☐ कौशल्य विकास ☐ निवासी केंद्र ☐ इतर |
| संस्थेची नोंदणी कोणत्या कायद्यान्वये आहे ? | ☐ सोसायटी कायदा ☐ ट्रस्ट कायदा ☐ कंपनी कायदा कलम ८ ☐ इतर |
| संस्थेचे नियम व अटी(**Articles of Association**), उपनियम, संस्थेची सनद (**Memorandum of Association**) अंतर्गत दिव्यांग क्षेत्राशी संबंधित तपशील | |
| व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांची यादी | |
| संस्थेची उद्दिष्टे | |
| अर्जाचा दिनांक (नियम ६(२), महाराष्ट्र नियम २०२४ नुसार) | |
| तपासणीचा दिनांक | |
| संस्थेत दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियमांची प्रत उपलब्धता | |
| दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ व संबंधित इतर कायद्यातील तरतुदींबाबत कर्मचाऱ्यांचे ज्ञान | |

## भाग ब: सुगम्यतेचे मूल्यांकन

- जागेबाबत माहिती (मालकी/भाडेपट्ट्याने/क्षेत्रफळ इत्यादी ) व त्याबाबतची कागदपत्रे

| सुगम्यता मापदंड | अनुपालन (✓/✗) | निरीक्षणे / शेरे |
|---|---|---|
| **A. भौतिक पायाभूत सुविधा** | | |
| १. रॅम्पद्वारे प्रवेशयोग्य इमारत | | |
| २. प्रवेशद्वार, कॉरिडॉर आणि लिफ्ट व्हीलचेअरसाठी अनुकूलता | | |
| ३. ग्रॅब बार आणि पुरेशी जागा असलेली सुलभ शौचालये. | | |
| ४. स्पर्शिक फरशी(Tactile Flooring) आणि मार्गदर्शक ब्लॉक्स प्रदान केले आहेत. | | |
| ५. पुरेसा प्रकाश, सुलभ आसनव्यवस्था आणि उंची समायोजित करण्यायोग्य फर्निचर असलेले संस्था/प्रशिक्षण कक्ष. | | |
| ६. ब्रेल लिपीतील सूचना / मोठे प्रिंट / उच्च कॉन्ट्रास्ट रंग. | | |
| **ब. माहिती-तंत्रज्ञान  आणि माहिती सुलभता** | | |
| १.दृश्य -श्राव्य सहाय्यक उपकरणे आणि कार्यात्मक सहाय्यक उपकरणे (स्क्रीन रीडर, श्रवण यंत्र) | | |
| २. संस्थेचे संकेतस्थळ आणि संवाद साहित्याची  उपलब्धता तसेच सुगम्यता | | |
| ३. पर्यायी स्वरूपात उपलब्ध असलेले सुगम्य सूचना फलक आणि छापील साहित्य. | | |
| **क. वाहतूक आणि वातावरण** | | |
| ४. दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुगम्य वाहतूक व्यवस्था प्रदान केली किंवा सुविधा दिली आहे का? | | |

| | | |
|---|---|---|
| ५. सुरक्षित पादचाऱ्यांचे मार्ग, पुरेसा प्रकाश आणि सूचना फलकांची देखभाल. | | |
| **D. सुगम्यता लेखापरीक्षण (Audit)** | | |
| १. तज्ञाने तयार केलेला सुगम्यतेबाबतचा अहवाल. | | |
| २. सुधारात्मक कारवाई केली आणि अनुपालन प्रमाणपत्र सादर केले आहे का? | | |

## भाग क: मागील तीन वर्षांतील आर्थिक मूल्यांकन

| मापदंड | रक्कम | निरीक्षणे / शेरे |
|---|---|---|
| **दर्शविलेले निधीचे स्रोत** | | |
| १. सरकारी अनुदान | | |
| २.सीएसआर (सामाजिक दायित्व) | | |
| ३.देणगी(Donation) | | |
| ४.स्वत:चे उत्पन्न | | |
| ५.देणगी(Endowment) | | |
| ६. इतर | | |
| **गेल्या तीन वर्षांचे लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्रे** | | |
| **वार्षिक खर्चाचे विभाजन** | | |
| १. कर्मचाऱ्यांचे वेतन | | |
| २. पायाभूत सुविधा | | |
| ३. पुनर्वसन | | |
| ४. सहाय्यक उपकरणे | | |
| ५. लाभार्थ्यांसाठी सेवा | | |
| ६. इतर | | |
| सरकारी मदत/अनुदानांशिवाय संस्था कार्य करू शकेल का आणि उपक्रम राबवेल का? | | |
| दायित्व किंवा प्रलंबित कर्जे (जर असतील तर) | | |
| भविष्यातील आर्थिक स्थिरतेबाबत नियोजन | | |

| | | |
|---|---|---|
| संस्था कर्मचारी, लाभार्थी आणि मालमत्तेसाठी विमा संरक्षण राखते का? | | |
| आकस्मिक निधी (जर असेल तर) | | |
| लाभार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची माहिती | | |

**<u>भाग ड: लाभार्थी आणि सेवेची गुणवत्ता</u>**

| निर्देशक | संख्या | परिणाम / निष्पत्ती / फलश्रुती | शेरा |
|---|---|---|---|
| १. नोंदणीकृत / सेवा दिलेल्या दिव्यांगांची संख्या आणि श्रेणी | | | |
| २. वैयक्तिकृत सेवा योजना (तयार आणि पुनरावलोकन केलेल्या) | | | |
| ३. शैक्षणिक / व्यावसायिक निकाल (उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण, नोकरीची जागा, कौशल्य प्रमाणपत्र) | | | |
| ४.पुरविल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवा | | | |
| ५. पुरविल्या गेलेल्या पुनर्वसन सेवा | | | |
| ६. पुरविल्या गेलेल्या समुपदेशन सेवा | | | |
| ७. लाभार्थ्यांच्या समाधानासाठी / अभिप्रायासाठी कार्यरत यंत्रणा | | | |
| ८. शिक्षण व रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात असलेल्या / नसलेल्या . | | | |
| ९. शासकीय कार्यक्रम,सामाजिक दायित्व (CSR)भागीदार किंवा सामुदायिक संस्थांशी संबंध | | | |
| १०. समावेशन आणि हक्क जागरूकता यासाठी आयोजित केलेले पोहोच किंवा जागरूकता उपक्रम | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ११. कुटुंबाची संवेदनशीलता | | | |
| १२. समुदायाची संवेदनशीलता | | | |

- **<u>जिल्हा समितीचे निरीक्षण:</u>**

——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————

(स्वाक्षरी)

## SCRUTINY PROFORMA FOR DISTRICT COMMITTEE

**(SCRUTINY OF REGISTRATION APPLICATION)**

**UNDER SECTION 51 OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 AND GOVERNMENT RESOLUTION DATED 17.10.2025**

### Part A: General Information

| Particulars | Details |
|---|---|
| **Name of Institution** | |
| **Address** | |
| **District** | |
| **Type of Institution** | ☐ Educational ☐ Health ☐ Vocational Training ☐ Skill Development ☐ Residential Centre ☐ Other |
| **Acts under which the Institution is already registered** | ☐ Societies Act ☐ Trust Act ☐ Section 8 Companies Act ☐ Others |
| **Details regarding Articles of Association, Bye Laws, Memorandum of Association in relations to PwDWD's Sector** | |
| **List of Managing Committee Members** | |
| **Objectives of the Institute** | |
| **Date of Application (as per Rule 6(2), Maharashtra Rules 2025)** | |
| **Inspection Date** | |
| **Availability of copy of the RPwD Act, 2016 and Rules at the Institution** | |
| **Knowledge of the Staff regarding the provisions of the RPWD Act, 2016 and other related Acts.** | |

**Part B: Accessibility Assessment**

- Information of the premises whether owned/leased/area. Documents of the same.

| Accessibility Parameter | Compliance (✓/✗) | Observations / Remarks |
|---|---|---|
| **A. Physical Infrastructure** | | |
| 1. Building accessible through ramps | | |
| 2. Entrance doorways, corridors and lifts wheelchair-friendly | | |
| 3. Accessible toilets with grab bars and adequate space. | | |
| 4. Tactile flooring and guiding blocks provided. | | |
| 5. Institutions/ training rooms with adequate lighting, accessible seating and height-adjustable furniture. | | |
| 6. Signage in Braille / large print / high contrast colours. | | |
| **B. ICT and Information Accessibility** | | |
| 1. Audio-visual aids and assistive devices functional (screen readers, hearing loops,). | | |
| 2. Institutional website and communication materials accessible | | |
| 3. Accessible notice boards and printed materials available in alternate formats. | | |
| **C. Transport and Environment** | | |
| 4. Accessible transport provided or facilitated for PwDs. | | |
| 5. Safe pedestrian pathways, lighting, and signage maintained. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **D. Accessibility Audit** | | |
| 1. Accessibility audit report prepared by empanelled expert. | | |
| 2.Corrective actions taken and compliance certificate submitted. | | |

## Part C : FINANCIAL ASSESSMENT FOR THE LAST 3 YEARS

| Parameter | Amount | Observations / Remarks |
|---|---|---|
| **Source of funds indicated** | | |
| 1. Government Grants | | |
| 2. CSR | | |
| 3. Donation | | |
| 4. Own income | | |
| 5. Endowment | | |
| 6. Other | | |
| **Audited financial statements for the last three years** | | |
| **Break up of annual expenditure** | | |
| 1. Staff salaries | | |
| 2. Infrastructure | | |
| 3. Rehabilitation | | |
| 4. Assistive Devices | | |
| 5. Beneficiary services | | |
| 6. Other | | |
| Whether the institution will sustain and carry out activities without government aid/grants | | |
| Liability or pending loans, if any | | |
| Future financial stability plan | | |
| Whether the institution maintains insurance coverage for staff, beneficiaries and assets | | |

| | | |
|---|---|---|
| Contingency funds, if any | | |
| Details of the fees/charges chargeable from the beneficiaries | | |

**PART D: Beneficiary Outcomes and Service Quality**

| **Indicator** | **Number** | **Output/outcome** | **Remarks** |
|---|---|---|---|
| 1. Number and category of PwDs enrolled / served. | | | |
| 2. Individualized service plans prepared and reviewed. | | | |
| 3. Educational / vocational outcomes achieved (pass rate, job placements, skill certification). | | | |
| 4. Health services provided | | | |
| 5. Rehabilitation services provided | | | |
| 6.counselling services provided. | | | |
| 7. Beneficiary satisfaction / feedback mechanism in place. | | | |
| 8. Whether mainstreamed/not in education / employment. | | | |
| 9. Linkages with government programmes, CSR partners or community institutions. | | | |
| 10. Outreach or awareness activities conducted for inclusion and rights awareness. | | | |
| 11. Sensitization of family | | | |
| 12. Sensitization of community | | | |

- Comments of The Committee:-

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

**(Signature)**